

भारत @ 75 (भाग I)

प्रलिस के ललतल :

नीतल नलदलशक तत्त्व (DPSP) एवं संवलधलन में संबंधतल अनुचछेद, ढौलकल अधकलर और संवलधलन में संबंधतल अनुचछेद, प्रढुख संवलधलनकल संशुधन, नकलतल कल अधकलर, शकलषल कल अधकलर, सूकनल कल अधकलर, सढलन नलगरकल संहतल (UCC), नौवल अनुसूकल, दसवल अनुसूकल ।

ढेनुस के ललतल:

संवलधलनकल संशुधनों के नहतलरुथ, 'संवलधलनकल नैतकलतल' और DPSP, DPSP कल ललगू करने में चुनौतलतलँ, ढलरतलतल संवलधलन में ढौलकल अधकलरों कल सलर ढनलढ अनुतल देशों के संवलधलन में, वढलनलन संवलधलनकल संशुधनों कल ढहतत्व ।

ढौलकल अधकलरों कल वसलतलर

संदरुढ

- ढलरतलतल संवलधलन के अंतरगत ढलरतलतल नलगरकलँ कल शुरु में सलत **ढौलकल अधकलर** कल गलरंटी प्रदलन कल गई थी कलनलँ - सढलनतल कल अधकलर, सूवलतंतरतल कल अधकलर, शुकषण के वरलदुध अधकलर, धरुढ कल सूवलतंतरतल कल अधकलर, सलंसुकृतकल और शुकषकल कल अधकलर, संपततल कल अधकलर तथल संवलधलनकल उतुकलर कल अधकलर ।
 - हललँकल, सूवलतंतरतल के ढलद से, ढलरतलतल सरुवुकुक नुतलतलतल ने शकलषल, सूकनल, गुकनलतलतल आदलँ के अधकलरों कल कुककलर ढौलकल अधकलरों के दलतरे कल वसलतलर कतल है ।

ढूल ढौलकल अधकलर

ढलरतलतल संवलधलन के अनुचछेद 14-32 के तहत, ढलरतलतल नलगरकलँ कल छह ढौलकल अधकलर दतल गए थे:

- सढलनतल कल अधकलर :** अनुचछेद 14-18 के तहत नलगरकलँ कल कलनुन के सढकष सढलनतल, धरुढ, नसुल, कलतल, ललगल, कलनुढ सुथलन और सलरुवकनकल रुकलगलर में सढलन अवसर के आधलर प्र ढेदढलव के वरलदुध सुरकषल कल गलरंटी दी कलतल है ।
 - इन अनुचछेदों के तहत, असुप्रशुतल कल सढलत कलर दतलतल गलतल ह और इसके प्रवरुतन कल एक दंडनीतल अपरलध ढलनल कलतल है, नलगरकलँ कल कलसल ढी उतलधल (सैनुतल तल शुकषणकलँ कलँ कलँकलर) कल सूवलकलर करने से प्रतलढलधतल कतल कलतल है और तद धलरण करने वलले लुकगुँकल कलसल ढी वदलशी रलकुक से प्रललढधतलँ कलँ सूवलकलर करने से प्रतलढलधतल कतल कलतल है कल तक कल रलषुदुरतल दलवलरल सहततल नही दी कलतल है ।
- सूवलतंतरतल कल अधकलर:** अनुचछेद 19-22 नलगरकलँ कल ढुलने और अढवलतुकतल कल सूवलतंतरतल कल अधकलर प्रदलन करतल है, ढनल हथतलरुँ के शलंतलरुवक एकतुर हुने, संघ तल युनतलन ढनलने, पूरे ढलरतल में सूवलतंतर रूढ से घुढने, ढलरतल के कलसल ढी हसलसे में नवलस और ढसने, कलसल ढी वुतलतलर तल वुतलसलतल कल अढतलस करने कल अधकलर देतल है ।
 - इस अधकलर के तहत, कलसल ढी नलगरकलँ कलँ कलसल ढी ऐसे अपरलध के लतल दुरुषी नही ठहरलतल कल सकतल है कु कलनुन ललगू हुने के सढतल नही थल, खुद के वरलदुध गवलही देने के लतल ढकुर ढही कतल कल सकतल शलतुढ-अपरलध), तल वुतुकतगतल सूवलतंतरतल (कलवन के अधकलर) से वंकतल नही कतल कल सकतल है ।
- शुकषण के वरलदुध अधकलर:** अनुचछेद 23 और 24 के तहत, ढलरतलतलँ कल कलरन शरुढ से रुकल कलतल है और कुदह वरुष से कढ उढर के ढकुकुँ (ढलल शरुढ) कलँ कलसल ढी कलरखलने तल खदलन में कलढ करने और अनुतल खतरनलक कलढ से प्रतलढलधतल कतल कलतल है ।
- धरुढ कल सूवलतंतरतल कल अधकलर:** अनुचछेद 25-28 सढी ढलरतलतलँ कलँ सूवलतंतर रूढ से कलसल ढी धरुढ कल ढलनने, अढतलस करने और प्रकलर करने कल अनुढतल देतल है ।
 - सढुदलतल धलरुढकलँ और धरुढलरुथ उददेशुतलँ के लतल संसुथलनलँ कल सुथलतनल और रखरखलव कर सकते हैं, अपने सूवलतलँ के ढलढलुँ कल प्रढंधन कर सकते हैं, संपततल अरुकतल कर सकते हैं और अपने धरुढ कल तललन करने के लतल करुँ कल ढुगतलन करने के लतल ढलधुतल नही हैं ।
- सलंसुकृतकलँ और शुकषकलँ अधकलर:** अनुचछेद 29 और 30 के तहत, ढलरतलतल सढलक के सढी वरुगुँ कलँ अपनी एक अलग ढलषल, लतलतल संसुकृतलँ कल अधकलर है और कलसल ढी सरकलरी शुकषणकलँ संसुथलन में प्रवेश से प्रतलढलधतल नही कतल कल सकतल है ।
 - सढी अलतलसंखुतलँ कलँ शुकषणकलँ संसुथलनलँ कल सुथलतनल और प्रशलसन कल अधकलर है और रलकुक दलवलरल उनके सलथ ढेदढलव नही कतल कल सकतल है ।

- **संवैधानिक उपचार का अधिकार:** [अनुच्छेद 32](#) के तहत, भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।
 - शीर्ष न्यायालय को इसे लागू करने के लिये निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है, सविय राज्य के कानूनवैकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तर्कों को छोड़कर।

संपत्तिके अधिकार की स्थिति क्या है?

- संपत्तिके अधिकार को [अनुच्छेद 31](#) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- इसे वर्ष 1978 में भारतीय संविधान के **44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।**
- हालाँकि, **संपत्तिका अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है** - राज्य सरकारों को नागरिकों की संपत्तिको अनविर्य रूप से प्राप्त करने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिये न हो या कानूनी प्राधिकरण मुआवजे का प्रावधान न करे।

स्वतंत्रता के बाद से मौलिक अधिकारों का वसितार कैसे किया गया है?

सर्वोच्च न्यायालय के लगातार फैसलों और संशोधनों ने भारतीय संविधान के भाग III के तहत भारतीय नागरिकों को दी जाने वाली सुरक्षा के दायरे को बरकरार रखा है और इसका वसितार किया है। मौलिक अधिकारों के इससे के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अन्य अधिकारों को शामिल किया है:

- **भोजन का अधिकार:** एक बुनियादी सुविधा के रूप में भोजन के अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई फैसलों में [अनुच्छेद 21](#) के तहत जीवन के अधिकार के हिससे के रूप में की गई है।
 - भारत सरकार ने इसे [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम](#) और [लक्ष्मि सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(टीपीडीएस\)](#) जैसे अपने कार्यक्रमों में शामिल करने के लिये कदम उठाए हैं।
- **जल, आश्रय और वदियुत का अधिकार :** जल, आश्रय और वदियुत के अधिकार को भी [अनुच्छेद 21](#) के हिससे के रूप में घोषित किया गया है।
 - स्वच्छ पेयजल का अधिकार, जिसे भारत के संविधान के मसौदे में एक मौलिक संसाधन के रूप में नहिती रूप से सुझाया गया है, संविधान के लेखों में कई अन्य उल्लेख भी मलिते हैं।
 - [अनुच्छेद 39 \(B\)](#) और [अनुच्छेद 47](#) जो राज्य को लोगों के बीच भौतिक संसाधनों को वितरित करने, पोषण स्तर और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये नीतियाँ बनाने का काम करते हैं।
 - [अनुच्छेद 262](#) जो संसद को [अंतर-राज्यीय नदी](#) विवादों को हल करने के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है।
 - [अनुच्छेद 51 \(A\)](#) जो नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण के मौलिक कर्तव्य के साथ कार्य करता है।
 - इसी तरह, **आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 का एक हिससा घोषित किया गया है** और इसे कई राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रबलित किया गया है -
 - [वन अधिकार अधिनियम की मान्यता \(2006\)](#)
 - [भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम \(2013\)](#)
 - [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम \(1993\)](#)
 - [स्लम एरिया एक्ट \(1956\)](#)
 - [स्ट्रीटवेंडर्स एक्ट \(2014\)](#)
 - मार्च 2021 में, **केरल उच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि वदियुत कनेक्शन जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है ([अनुच्छेद 21](#))।
- **शिक्षा का अधिकार:** वर्ष 2002 में संविधान के **86वें संशोधन** में [अनुच्छेद 21A](#) को शामिल किया गया जिससे 6 से 14 आयु वर्गके बच्चों की मुफ्त और अनविर्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
 - जबकि भारतीयों को [अनुच्छेद 29](#) और [30](#) के तहत शैक्षिक अधिकार दिये गए हैं, **2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को** किसी भी प्रकार के शुल्क या शुल्क या खर्च से मुक्त और अनविर्य शिक्षा प्रदान की गई थी।
 - अधिनियम के तहत, **किसी भी स्कूल को किसी भी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक स्कूल से रोकने या नषिकासति करने की अनुमति नहीं है।**
 - बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना भी प्रतर्बिधित है।
- **सूचना का अधिकार :** अब सूचना के अधिकार को [अनुच्छेद 19](#) के तहत प्रतर्षिटापति किया गया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँचने और ऐसे डेटा के लिये नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतर्क्रिया देने के लिये सशक्त बनाने के लिये पारित किया गया था।
 - सूचना जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, किसी अन्य व्यक्तिको खतरे में डालती है या उनकी गोपनीयता पर आक्रमण करती है, या जो न्यायालय की अवमानना या संसदीय वशिषाधिकारों का उल्लंघन हो सकती है **RTI अधिनियम के तहत छूट दी गई है।**
 - इसके अलावा व्यापार, बौद्धिक संपदा, कैबिनेट की गोपनीयता या वशिवास में वदिशी सरकारों से प्राप्त संवेदनशील डेटा को अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
- **नजिता का अधिकार:** यह प्रचछन रूप से माना गया कि नजिता का अधिकार [अनुच्छेद 21](#) के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के लिये "आंतरिक" था, वर्ष 2017 में नौ-न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भारतीय नागरिकों की नजिता की रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त किया।
 - गोपनीयता को परभाषित करने और नागरिकों के व्यक्तितगत डेटा की सुरक्षा के लिये, भारत सरकार ने संसद में **म्यक्तगत डेटा संरक्षण**

वधियक, 2019 पेश कयिा ।

- हालाँकि, वधियक को अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था क्योंकि संसद की संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए एक अधिक व्यापक कानूनी ढाँचे पर विचार किया जा रहा है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????????????

प्रश्न:1 एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनर्थातरति और अनर्थातरति वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संवधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. मौलिक अधिकारों की नमिनलखिति श्रेणियों में से कौन-सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के वरुिद्ध सुरक्षा को शामिल करती है? (2020)

- (a) शोषण के वरुिद्ध अधिकार
- (b) स्वतंत्रता का अधिकार
- (c) संवधानिक उपचार का अधिकार
- (d) समानता का अधिकार

उत्तर: (d)

प्रश्न 3. भारत में मतदान करने और नरिवाचति होने का अधिकार है: (2017)

- (a) मौलिक अधिकार
- (b) प्राकृतिक अधिकार
- (c) संवधानिक अधिकार
- (d) कानूनी अधिकार

उत्तर: (c)

????????

प्रश्न 1. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संवधानों में समानता के अधिकार की धारणा की वशिष्ट वशिषताओं का वशि्लेषण कीजयि । (2021)

प्रश्न 2. सूचना का अधिकार अधनियम में हाल के संशोधनों का सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । चर्चा कीजयि (2020)

प्रश्न 3. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजयि । (2017)

भारत के नीतनरिमाण में DPSP का स्थान

संदर्भ:

- भारत के राष्ट्रपति ने 76वें स्वतंत्रता दविस पर अपने संबोधन के दौरान , देश को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत के संवधान के दृष्टिकोण को आकार देने के लयि अगले मील के पत्थर की ओर नरिदेशति कयि ।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संवधान सभा (1948) में बोलते हुए, राज्य के नीतनरिदेशक सदिधांतों (DPSP) के बारे में कहा कि केवल देश के शासन के मामलों में अपने सभी कार्यों का आधार बनाना चाहयि ।

नरिदेशक तत्वों को संवधान में क्यों जोड़ा गया?

- **परिचय:** भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में नहिती, DPSP वभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिन्हें राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
 - **नरिदेशक सिदिधांत सकारात्मक नरिदेश हैं, वे संकेत देते हैं किराज्य मौलिक अधिकारों के वपिरित क्या करेगा जो प्रकृति में नषिधात्मक हैं (मूल अधिकार राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं)।**
 - **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में** कहा गया है कि DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन नरिधारित सिदिधांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिदिधांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है।
 - **अंबेडकर ने DPSP को "समाजवादी" और संविधान की "नॉवेल वशिषता" के रूप में वर्णित किया।**
- **पृष्ठभूमि:** संविधान के निर्माण के समय, इसके प्रारूपकारों के सामने चुनौती थी कि भारत के सभी लोगों को संतुष्ट किया जाए, एक समान समाज और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जाए, और व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के बीच संतुलन कायम किया जाए।
 - इसने उन्हें **आयरलैंड के 1937 के संविधान से DPSPs की अवधारणा से प्रेरित किया।**
 - यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि **DPSP की अवधारणा का स्रोत स्पेनशि संविधान है** और वही से यह आयरिश संविधान में आया है।
- **DPSP के बारे में आशंकाएँ:** 1948 की संविधान सभा के कई सदस्यों ने तर्क दिया कि कानूनी प्रवर्तनीयता के बिना, ये सिदिधांतकेवल **"पवतिर इच्छा" बनकर रह जाएँगे।**
 - यह तर्क दिया गया था कि औपनिवेशिक शासन के तहत इस तरह के सामाजिक-आर्थिक सिदिधांतों की अनदेखी की गई थी और उनका शोषण किया गया था और **स्वतंत्र भारत में उन्हें प्रभावी बनाना आवश्यक था।**
 - सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने भी अतीत में DPSP को महत्त्व दिया है, यह तर्क देते हुए कि वे मौलिक अधिकारों को अर्थ देते हैं और यदि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को सशक्त बनाने के लिये दोनों को सामंजस्यपूर्ण तथा संतुलित किया जाना चाहिये।

सरकार की नीतियों के रूप में DPSP:

- **अनुच्छेद 38:** यह राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाकर लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का नरिदेश देता है। राज्य लोगों और क्षेत्रों के बीच आय असमानताओं और स्थिति तथा अवसरों को कम करने का प्रयास करेगा।
 - कई सरकारों ने गरीबों में समावेशिता लाने के प्रयास में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)**, राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली, **मध्याह्न भोजन योजना**, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कृषि और गैस सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई हैं।
 - एक नरिशासनक तथ्य यह है कि इस तरह की पहल के बावजूद, **वशि्व असमानता रिपोर्ट 2022** के अनुसार भारत अभी भी दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है।
 - राष्ट्रीय आय का 57% हसिसा शीर्ष 10% आबादी के हाथों में है।
- **अनुच्छेद 39:** भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में "समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता" प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया।
 - इसके लिये, "समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्रम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने" और "समान अवसर के आधार पर न्याय सुरक्षित करने के लिये लोक न्यायालयों का आयोजन" करने के लिये संसद द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया था।
 - राष्ट्रीय लोक न्यायालय (NLA) एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र है, जो पक्षों को समझौता करने में मदद करने के लिये नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
 - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अनुसार, वर्ष 2016 से 2020 तक देश भर में आयोजित लोक न्यायालयों ने गति और दक्षता का प्रदर्शन करते हुए 52,46,415 मामलों का निपटारा किया।
 - हालाँकि, विशेषज्ञ लंबे समय से लोक न्यायालयों में न्याय की गुणवत्ता को लेकर चिंति हैं। [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] (2008) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोक न्यायालय पूरी तरह से सुलह के स्वरूप में हैं और इसका कोई न्यायिक या न्यायिक कारण नहीं है।
 - चूँकि समझौता इसका केंद्रीय विचार है, इसलिये एक चिंता यह है कि मामलों के त्वरित निपटान के प्रयास में, यह न्याय के विचार को कमज़ोर करता है।
- **अनुच्छेद 43:** यह सभी श्रमकों के लिये एक जीवित मज़दूरी, उपयुक्त काम करने की स्थिति और एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने का आह्वान करता है।
 - डॉ. अंबेडकर ने DPSP में "वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता" के विचार को जन्म दिया, जिसके तहत उन्हें आर्थिक मज़बूरियों के कारण न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करने वाली कोई भी नौकरी लेने के लिये मज़बूर नहीं किया जाता है।
 - **भ्रष्टाचार से ग्रस्त श्रम नौकरशाही** स्थापित करने, उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिदृश्य में नौकरी गँवाने वाले श्रमकों के लिये और अक्षम न्यायिक तंत्र के लिये **भारतीय श्रम कानूनों** की आलोचना की गई।
 - साथ ही, भारत उन देशों में शामिल है जहाँ **राष्ट्रीय श्रम कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है**
- **अनुच्छेद 44:** यह तलाक, विवाह, उत्तराधिकार आदि के व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिये एक समान नागरिक संहिता या एक समान कानून हासिल करने से संबंधित है।
 - संविधान सभा की बहस में डॉ. अंबेडकर ने व्यक्ति कथित किया कि एक **UCC वांछनीय था, लेकिन फलिहाल, स्वैच्छिक रहना चाहिये।**
 - यह विचार वर्षों तक ऐसे ही रहा है और **भारत के पास अभी भी UCC नहीं है।**
 - वर्तमान में, प्रत्येक धर्म में व्यक्तिगत कानूनों का एक अलग सेट होता है और व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण ने ऐतिहासिक रूप से विरोध उत्पन्न किया है।
 - 1985 के [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] , सर्वोच्च न्यायालय ने अफसोस जताया कि अनुच्छेद 44 एक **"डेथ लेटर"** बना रहा।
 - अभी तक केवल एक राज्य - गोवा में **UCC है।**

- मई 2022 में, उत्तराखंड द्वारा **UCC को लागू करने** और उत्तराखंड में रहने वालों के लिये व्यक्तिगत मामलों को न्यतिरति करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
- इससे पहले, **इलाहाबाद HC ने भी केंद्र सरकार से UCC के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया था।**
- **अनुच्छेद 45:** इस अनुच्छेद के अनुसार- राज्य को संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों को 14 साल की उम्र पूरी करने तक मुफ्त और अनविर्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।
 - वर्ष 2002 में, संविधान के **86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A** जोड़ा गया, जिससे छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त और अनविर्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
 - वर्ष 2009 में **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम** पारित किया गया था।
 - हालाँकि, अगस्त 2021 में, जबकि 35 करोड़ बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, देश में लगभग 15 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर थे।
 - **भारत ने समावेशी शिक्षा का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।**
 - यूनेस्को ने अनुमान लगाया कि 1.3 बिलियन बच्चे और युवा (यानी, दुनिया की छात्र आबादी का 70%) **शैक्षणिक संस्थानों के कोवडि से संबंधित बंद होने से प्रभावित थे।**
- **अन्य प्रावधान :** शेष DPSP मातृत्व संबंधी प्रावधानों, समान कार्य के लिये समान वेतन, **सहकारी समितियों** और ग्राम पंचायतों की स्थापना, **बाल पोषण** स्तर में वृद्धि, **पर्यावरण संरक्षण कानून** और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने से संबंधित हैं।
 - इनमें से कुछ सदिधांतों का स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और ग्राम पंचायतों की स्थापना जैसे कार्य किये गए।
 - **DPSP के कुछ जनादेशों को पूरा करते हुए मातृ कल्याण योजनाएँ भी शुरू की गई हैं।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न 1. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? (2020)

- राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व
- मौलिक अधिकार
- प्रस्तावना
- सातवीं अनुसूची

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सदिधांतों और प्रावधानों को दर्शाता है/प्रतिबिबिति करता है? (2020)

- प्रस्तावना
- राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांत
- मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न 1. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही नहिति है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक नरिणयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सदिधांत की व्याख्या कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिये जो भारत को अपने नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहति लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांतों में प्रदान किया गया है। (2015)

भारतीय संविधान में परिवर्तन

संदर्भ

- भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से, संसद द्वारा 105 संशोधन किये जा चुके हैं।
 - मूल रूप से (1949), भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में वभाजति) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। वर्तमान में, इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में वभाजति) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

भारतीय संविधान में किये गए प्रमुख संशोधन	
संविधानिक संशोधन	मुख्य विशेषताएँ
प्रथम संशोधन अधिनियम	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसके द्वारा अनुच्छेद 15, 15 (3), 46, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया, जिससे राज्यों को 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्ग के नागरिकों के या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान करने' का अधिकार प्राप्त हुआ। <ul style="list-style-type: none"> ○ हालाँकि, राज्य को नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर अंकुश लगाने तथा किसी भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय का अभ्यास करने के लिये कानून नरिमति करने से रोका गया है। ○ यह राज्यों को किसी भी नागरिक की संपत्तिका अधिग्रहण करने की अनुमति देने वाले कानून बनाने से भी रोकता है। ■ इस संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कई राज्य कानूनों को सूचीबद्ध किया गया तथा जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ■ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के तीन आधार जोड़े गये, ये थे- <ul style="list-style-type: none"> ○ लोक आदेश, ○ अपराध करने के लिये उकसाना तथा ○ वदिशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिये। प्रतिबंधों को और तर्क सांगत बनाया और इस प्रकार ये न्याययोज्य बना दिये गए। ■ इस संशोधन द्वारा लाए गए अन्य परिवर्तनों में शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ राष्ट्रपति/राज्यपाल को छह माह से कम के अंतराल में प्रत्येक सदन के सत्र को आहूत या सत्रावसान करने का अधिकार। ○ न्यायाधीशों, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, की किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति का नषिध। ○ संविधान के लागू होने के तीन वर्ष के भीतर किसी भी कानून में संशोधन करने से राष्ट्रपति का नषिध।
चौथा, 25वाँ और 44वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसने संविधान के अनुच्छेद 31, 31A, 305 और नौवीं अनुसूची में संशोधन किये। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसने नागरिकों के संपत्तिके अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई भी संपत्ति राज्य या राज्य के स्वामित्व वाले नगिम द्वारा तब तक अनविरय रूप से अधिग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिये न हो और इसके लिये पर्याप्त मुआवजा प्रदान नहीं किया गया हो। ■ 25वें संशोधन (1971) द्वारा भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने वाले चौथे संशोधन में कुछ अपवादों को शामिल किया। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह राज्य को एक अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की भूमिका अनविरय रूप से अधिग्रहण करने की अनुमति देता है यदि मुआवज़े की उचित राशा तय की जाती है। ■ संपत्तिके अधिकार (जो उस समय तक अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था) को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संसद द्वारा हटा दिया गया था। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसके बावजूद इसे संविधानिक अधिकार बना दिया गया।
7वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राज्यों के वर्ग ए, बी, सी और डी में वतिरण को समाप्त कर दिया तथा भारत में केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया। ■ इसने सभी राज्यों को सूचीबद्ध किया और उन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार भाषाई आधार पर वभाजति किया।
52वाँ और 91वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य वधिनसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसने संविधान में एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी जिसमें इससे संबंधित वविरण शामिल है। ■ वर्ष 2003 में 91वें संशोधन के साथ 52वें संशोधन को और अधिक कठोर किया गया, जिसमे अयोग्य सदस्यों पर किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद को धारण करने से रोक लगा दी गई। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसने मंत्रपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) को लोकसभा की कुल संख्या का 15% नरिधारित किया। ○ इसी तरह की सीमा राज्य मंत्रिमंडलों पर भी लागू की गई।
61वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ इस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे मतदान का अधिकार संविधानिक अधिकार बन गया।
101वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसके तहत अंतरराज्यीय व्यापार या वाणजिय में माल और सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के संबंध में कानून बनाने के लिये संसद को सशक्त बनाने हेतु अनुच्छेद 246 को परिवर्तित किया जबकि राज्य वधिनसभाएँ संघ या किसी राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बना सकती हैं।

103वाँ संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्ग (socially and educationally backward classes- SEBC), अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (Economically Weaker Sections- EWS) के उन नागरिकों के लिये अधिकतम 10% आरक्षण आवंटित किया जो अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। <ul style="list-style-type: none"> ○ हालाँकि, EWS कोटे की इस परभाषा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
----------------------	---

और पढ़ें प्रमुख [संवैधानिक संशोधन: भाग 1](#)

और पढ़ें प्रमुख [संवैधानिक संशोधन: भाग 2](#)

और पढ़ें प्रमुख [संवैधानिक संशोधन: भाग 3](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न 1. भारत में संपत्तिके अधिकार की क्या स्थिति है?

- (a) केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध कानूनी अधिकार।
- (b) किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध कानूनी अधिकार।
- (c) मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध।
- (d) न तो मौलिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार।

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के में प्रस्तुत किया गया था। (2019)

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) लाल बहादुर शास्त्री
- (c) इंदिरा गांधी
- (d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. नजिता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। नमिनलखिति में से कौन सा भारत के संविधान में उपरोक्त कथन का सही और उचित रूप से अर्थ है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के नदिशक सदिधांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

प्रश्न 4. नमिनलखिति में से कौन सा सदिधांत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सदिधांतों में जोड़ा गया था? (2017)

- (a) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन।
- (b) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
- (c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- (d) श्रमिकों के लिये जीवित मज़दूरी और काम की मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करना।

उत्तर: (b)

????

प्रश्न:1 सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न 2. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं और वसिगतियों पर चर्चा कीजिये यद कोई हो, जिन्होंने दल्लि के प्रशासन में नरिवाचति प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आये मतभेदों को उत्पन्न कर दया है। क्या आपके वचिर में इससे भारतीय परसिंधीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई परवत्तिका उदय होगा? (2016)

प्रश्न 3. 'भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने में संसद की मनमानी शक्ति पर नरिंतरण रखता है।' आलोचनात्मक वविचना कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-75-part-i>

